If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

42	(12)		(13)
Group 'C' Departm	ental confirmation Comm	iittee :—	Not applicable
1. Director, Direct	orate of Adult Education	—Chairman	
2. Joint Director, I	Directorate of Adult Education	on —Member	
3. Under Secretary and Literacy	y, Deptt. of School Educatio	on —Member	
			[F. No. 19-11/2010-A JUGLAL SINGH, Dy. 3



नई दिल्ली, 20 मई, 2014

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पुस्तकालय सूचना सहायक के समूह 'ख' अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पुस्तकालय सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.---वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय सूचना सहायक	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34,800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रुपए	होता	30 वर्ष से अनिधक टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (सिवाए उसके जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री।		
(II) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय का दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव ।		, if
वांछनीय		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा ।		

टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं	
टिप्पणी : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।		
(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; और		
(iii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आध ार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष सेवा की हो ;		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।		
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

THE GAZETTE OF INDIA: MAY 24, 2014/JYAISTHA 3, 1936

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)		(13)	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति	(पुष्टिकरण के लिए) :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।	
1. संयुक्त सचिव (स्थापना) सड़क परिव	हन और		
राजमार्ग मंत्रालय	—अध्यक्ष		
 निदेशक या उप सचिव (स्थापना), सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 	सदस्य		
 अवर सचिव (स्थापना), 			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य		

[सं. ए-12018/1/2012-ई-1] देवराज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORTAND HIGHWAYS

New Delhi, the 20th May, 2014

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Non-Gazetted post of Library Information Assistant in the Ministry of Road Transport and Highways, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways (Library Information Assistant) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification, pay band, grade pay and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification, pay band, grade pay and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : मई 24, 2014/ज्येष्ठ 3, 1936

			SCHEDULE			
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, Grade pay and Pay Scale	Whether selection or Non- selection post	Age limit recruits	for direct
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Library Information Assistant	01* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	I Pay band-2 N.A. Not exceeding 30 years 'B' Rs. 9300– 34800 Note 1: (Relaxable for G servants upto five accordance with the in Rs. 4200) Servants upto five accordance with the in or orders isued by the Government.) Note 2: The crucial determining the age lin the closing date for applications from ca except the closing date for applications from ca except the closing date for applications from ca except the closing date for those in Assam, M Arunachal Pradesh, I Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division and Kashmir State, L Spiti District and Pa Division of Chamba I Himachal Pradesh, And			elaxable for Governmen upto five years' in e with the instruction isued by the Centra nt.) The crucial date for g the age limit shall be g date for receipt o ons from candidates closing date prescribed in Assam, Meghalaya l Pradesh, Mizoram Nagaland, Tripura dakh Division of Jammu nir State, Lahaul and rict and Pangi Sub- of Chamba District of Pradesh, Andaman and Islands and
Educational and other qualification required for direct recruits		n required for	qualification	e and educational n prescribed for its will apply in promotees	Period	of probation, if any
(7)			(8)			(9)
Essential: (I) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (II) Two years' professional experience in a Library under a Central or State Government or Autonomus or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognized research		ence in a Library ent or Autonomus Public Sector	Not applicable		Tw	o years
Undertaking or University or recognised research or educational institution. Desirable : Diploma in Computer Application from a recognised university or institute.						

553

(7)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

By Direct Recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government :

(A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-1 of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-1 of Rs. 5200—20200 with Grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing Educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Column 7.

Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fiftysix years as on the closing date of receipt of applications. (11) Not applicable



[भाग II—खण्ड 3(i)]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committe confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
 Joint Secretary (Establishment), Ministry of Road Transport and Highways 	—Chairman	
 Director or Deputy Secretary (Establishment) Ministry of Road Transport and Highways 	Member	
 Under Secreatry (Establishment) Ministry of Road Transport and Highways 	Member	

[F. No. A-12018/18/2012-E.-I]

D. R. SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

.

